

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Regional Office (Central Region)

7/11  
उत्तर प्रदेश शासन  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर 'H' अलिगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoe@rediffmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/29/2015/एफ.सी./1036

दिनांक:

04/12/15

सेवा में,

विशेष सचिव(वन),  
वन अनुभाग, 6वां तल,  
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय: जनपद मिर्जापुर में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (एस0एच0-5) किमी0 संख्या-5.050 से 10.050 तक के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं विद्युत पोल शिफ्टिंग हेतु 9.00 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 672 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 20.11.2015


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी 7/14-2-2015 800(59)/2015, दिनांक- 16.06.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की रवीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण को दिनांक- 16.09.2015 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रस्ताव में वर्णित उपरान्त कुछ बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-954/11सी-यू0पी0-041/2015, दिनांक- 02.11.2015 द्वारा उपलब्ध कराने के उपरान्त प्रस्ताव को पुनः दिनांक- 20.11.2015 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में संस्तुति हेतु सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में रवीकृति उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद मिर्जापुर में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (एस0एच0-5) किमी0 संख्या-5.050 से 10.050 तक के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं विद्युत पोल शिफ्टिंग हेतु 9.00 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 672 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक रवीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 18.00 हेक्टेयर (9.00x2=18.00 ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0 25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी कामपलेक्स, में जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति


  
दिनांक 4/12/15

सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीवी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होगी।
6. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर आईआरसी (IRC) के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किया जाएगा।


उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

  
(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आरओएचओक्यू) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी, उ० प्र०।
5. प्रभागयी निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर, उ० प्र०।
6. परियोजना निदेशक, एनएचओएआई, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, एस-8/108, एफ०-4, डीआईजी कालोनी, मकबूल आलम रोड, वाराणसी, उ० प्र०।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।

  
(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक(के.)